**पंकज कुमार**
आई0ए0एस0
**प्रबन्ध निदेशक**

**उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटे**
*शक्ति भवन, 14–अशोक मा*
*लखनऊ – 226 00*
*ई मेल– mduppcl12@gmail.con*
*☎ : 0522–2288377(O*
*(फैक्स) : 0522–228841*

**ज्ञाप सं0 : 761/मु0अ0(वा0ई0)/सी0यू0–दो/16** **दिनांक : 07 मार्च, 2024**

## कार्यालय ज्ञाप

ऊर्जा अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय पत्रांक 443/24–1–2024–49 पी/2014 दिनांक 06.03.2024 के द्वारा दिनांक 01.04.2023 से निजी नलकूप कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त लाभ हेतु एतद्द्वारा निम्न प्रक्रिया निर्धारित की जाती है:–

1. दिनांक 01 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं (LMV-5) को निम्न शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क विद्युत आपूर्ति की जाएगी:–

   **(क)** यह योजना टैरिफ कैटेगरी **LMV-5** (निजी नलकूप) हेतु लागू होगी।

   **(ख)** उक्त योजना का लाभ पाने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड/सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी (Licensee) के पोर्टल पर आवेदन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर अपनी सहमति/सूचना देकर पंजीकरण करना होगा:

   i. संयोजन पर मीटर स्थापित किया जाएगा।

   ii. उक्त संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2023 तक के सम्पूर्ण बकाये का भुगतान योजना में दिए गए प्राविधान के अनुसार किया जाएगा।

   iii. KYC (Know Your Customer) की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

   iv. उक्त संयोजन पर किये जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब और एक पंखा अनुमन्य होगा, जिसका विवरण उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा।

   v. उपभोक्ता के निजी नलकूप के अलावा अन्य समस्त संयोजनों (स्वयं के परिवार के घरेलू उपयोग सम्बन्धी संयोजन सहित) का विवरण KYC (Know Your Customer) के साथ दिया जाएगा।

2. **(क)** योजना का लाभ दिनांक 01 अप्रैल 2023 से उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनके द्वारा संयोजन के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च 2023 तक के बकाये का पूर्ण भुगतान कर दिया होगा। ब्याज/विलम्ब अधिभार (LPSC) की गणना दिनांक 31.03.2023 तक के कुल बकाये पर की जायेगी।

   **(ख)** उक्त हेतु उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाईट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं जिस पर छूट सम्बन्धी सभी सूचनाएं ऑनलाइन प्रदर्शित होगीं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खण्ड/उपखण्ड कार्यालय, विभागीय कैश काउन्टर अथवा जनसेवा केन्द्र मे जाकर भी छूट सम्बन्धी सूचना प्राप्त कर सकते हैं व पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के समय ही उपभोक्ता को अपने शेष बकाये को एक साथ (एकमुश्त) अथवा किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा।

   **(ग)** उपभोक्ता को पंजीकरण के समय दिनांक 31.03.2023 तक के कुल मूल बकाये की 30% धनराशि पंजीकरण धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त धनराशि जमा करने के उपरान्त ही उपभोक्ता को इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत माना जायेगा।

   **(घ)** पंजीकरण के समय उपभोक्ता को –निम्न तीन विकल्प प्रदान किये जायेंगे:–

   **विकल्प–A:** यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो ब्याज/विलम्ब अधिभार (LPSC) में 100 % छूट दी जायेगी।

   **विकल्प–B:** यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 3 मासिक किश्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज/विलम्ब अधिभार (LPSC) में 90% छूट दी जायेगी।

**विकल्प–C:** यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का भुगतान 6 मासिक किश्तों में करने का विकल्प चयनित करता है तो ब्याज/विलम्ब अधिभार (LPSC) में 80% छूट दी जायेगी।

3. किश्तों का विकल्प चुनने वाले उपभोक्ताओं को बकाये की किश्तें नियत तिथि तक जमा करनी होंगी। किश्तों को नियत तिथि तक जमा न करने (डिफाल्ट) की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**(क)** 3 किश्तों के प्रकरण में : कोई डिफाल्ट अनुमन्य नही होगा।
**(ख)** 6 किश्तों के प्रकरण में : केवल एक डिफाल्ट अनुमन्य होगा (अन्तिम किश्त को छोड़कर) अर्थात् किसी भी स्थिति में अन्तिम किश्त को डिफाल्ट करना अनुमन्य नहीं होगा तथा छठी किश्त की अन्तिम तिथि तक समस्त भुगतान करना होगा।

(**नोटः** डिफाल्ट का अभिप्राय किश्त को नियत तिथि तक जमा न करने से है। यदि किसी किश्त का भुगतान ससमय नहीं किया जाता है तो अगली तय किश्त के साथ ही छूटी हुई किश्त जमा करना अनिवार्य होगा एवं तभी योजना का लाभ मिल सकेगा।)

4. उपरोक्त (बिन्दु सं0–3) के उपरान्त भी यदि उपभोक्ता डिफाल्ट करता है तो उस स्थिति में उसे इस योजना के लाभ से वंचित होना पड़ेगा तथा विलम्ब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में छूट की राशि पुनः जोड़ दी जायेगी तथा भविष्य में इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा। ऐसे प्रकरण में समस्त बकाया धनराशि की नियमानुसार वसूली की जायेगी।

5. योजना के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु दिनांक 30 जून 2024 तक की समय सीमा निर्धारित की जाती है। दिनांक 30 जून 2024 के उपरान्त ऐसे उपभोक्ता जिनका 31 मार्च 2023 तक बकाया है एवं उनके द्वारा पंजीकरण नहीं किया गया है, उन्हें इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

6. पंजीकरण के उपरान्त उपभोक्ताओं को सम्पूर्ण धनराशि जमा करने अथवा प्रथम किश्त के भुगतान हेतु दिनांक 31 जुलाई 2024 तक समय दिया जाता है। अग्रेत्तर किश्तों की अन्तिम तिथि निम्नवत् होगीः

| **विकल्प B – 3 किश्तों में भुगतान हेतु** | |
|---|---|
| प्रथम किश्त | 31.07.2024 तक |
| द्वितीय किश्त | 31.08.2024 तक |
| तृतीय किश्त | 30.09.2024 तक |

| **विकल्प C – 6 किश्तों में भुगतान हेतु** | |
|---|---|
| प्रथम किश्त | 31.07.2024 तक |
| द्वितीय किश्त | 31.08.2024 तक |
| तृतीय किश्त | 30.09.2024 तक |
| चतुर्थ किश्त | 31.10.2024 तक |
| पंचम किश्त | 30.11.2024 तक |
| षष्ठम किश्त | 31.12.2024 तक |

7. राज्य में बेहतर जल स्तर प्रबन्धन तथा प्रदान की जा रही छूट को जिम्मेदारी के साथ प्रयोग करने हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जायेगीः

**(क) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए टैरिफ पर छूट निम्न प्रकार होगीः–**

| **विवरण** | **12.5 HP (9.32 kW) तक** | **12.5 HP (9.32 kW) से अधिक** |
|---|---|---|
| **फिक्स्ड चार्जेज** | 100% छूट | 50% छूट |
| **इनर्जी चार्जेजः** | | |
| **1** | **2** | **3** |
| (i) 140 Units/kW प्रतिमाह तक उपयोग पर | 100% छूट | • 1300 यूनिट/प्रतिमाह तक 100% छूट।<br>• उक्त से अधिक के प्रयोग पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा। |

| | | |
|---|---|---|
| (ii) 140 Units/kW प्रतिमाह से अधिक उपयोग पर | • कोई छूट नहीं।<br>• 140 Units/kW प्रतिमाह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा। | |

12.5 HP (9.32 kW) से अधिक क्षमता वाले निजी नलकूपों पर 12.5 HP के सापेक्ष 140 Units/kW प्रतिमाह (140x9.32 kW ≈ 1300 units) तक के विद्युत उपयोग पर उपभोक्ता से, इनर्जी चार्जेज के मद में कोई धनराशि वसूल नहीं की जाएगी परन्तु उक्त सीमा से ऊपर के प्रयोग पर नियमतः आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर अतिरिक्त खपत के सापेक्ष बिल उपलब्ध करा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

**(ख) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए छूट संभव होगीः–**

| **विवरण** | **10 HP (7.46 kW) तक** | **10 HP (7.46 kW) से अधिक** |
|---|---|---|
| **फिक्स्ड चार्जेज** | 100% छूट | 50% छूट |
| | **इनर्जी चार्जेजः** | |
| **1** | **2** | **3** |
| (i) 140 Units/kW प्रतिमाह तक उपयोग पर | 100% छूट | • 1045 यूनिट/प्रतिमाह तक 100% छूट।<br>• उक्त से अधिक के प्रयोग पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा। |
| (ii) 140 Units/kW प्रतिमाह से अधिक उपयोग पर | • कोई छूट नहीं।<br>• 140 Units/kW प्रतिमाह से अधिक उपयोग करने पर अतिरिक्त खपत का टैरिफ के अनुसार पूर्ण भुगतान करना होगा। | |

**नोटः** 1045 Units/माह से अधिक उपयोग हुई ऊर्जा के सापेक्ष टैरिफ के अनुसार भुगतान करना होगा।

10 HP (7.46 kW) से अधिक क्षमता वाले निजी नलकूपों पर 10 HP के सापेक्ष 140 Units/kW प्रतिमाह (140x7.46 kW ≈ 1045 units) तक के विद्युत उपयोग पर उपभोक्ता से, इनर्जी चार्जेज के मद में कोई धनराशि वसूल नहीं की जाएगी परन्तु उक्त सीमा से ऊपर के प्रयोग पर नियमतः आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के आधार पर अतिरिक्त खपत के सापेक्ष बिल उपलब्ध करा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।

**(ग)** उपभोक्ता को किसी भी गैर–कृषि उपकरण (बिंदु संख्या **1 के उपबिन्दु 'ख'–iv** में उल्लिखित अर्थात् *"उक्त संयोजन पर किये जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में मात्र एक एलईडी बल्ब और एक पंखा अनुमन्य होगा, जिसका विवरण उपभोक्ता द्वारा दिया जायेगा"* के अतिरिक्त) के उपयोग के लिए अतिरिक्त आवासीय/वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन लेना होगा।

**(घ)** समस्त संयोजनों हेतु 140 Units/kW प्रतिमाह की गणना तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु निर्धारित 1300 यूनिट प्रतिमाह एवं अन्य क्षेत्रों हेतु निर्धारित 1045 यूनिट प्रतिमाह के उपयोग का आगणन त्रैमासिक (जनवरी–मार्च, अप्रैल–जून, जुलाई–सितम्बर व अक्टूबर–दिसम्बर) रूप से किया जाएगा। अतः उक्त के सापेक्ष बिलिंग भी 03 माह में की जाएगी।

8. **योजना के अन्य दिशा निर्देशः–**

**(क)** उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता एवं एस0डी0ओ0 कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सी0एस0सी0 केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाइट uppcl.org पर **उपभोक्ता कार्नर > सेवा अनुरोध > बिल सुधार अनुरोध** में जाकर स्वयं को रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।

**(ख)** स्थाई रूप से विच्छेदित बकायेदारों के प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। इन उपभोक्ताओं के पी0डी0 फाइनल बिल के सापेक्ष वितरण निगम द्वारा योजना अवधि में छूट की गणना करते हुए अधिभार की छूट के उपरान्त भुगतान योग्य धनराशि का ऑनलाइन भुगतान एकमुश्त कराते हुए शेष धनराशि का अपलेखन (waiver) कर इनकी पी0डी0 ऑनलाइन फाइनल की जा सकती है।

**(ग)** विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लम्बित प्रकरण भी समाधान हेतु अर्ह होंगे। उपभोक्ताओं को इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि यदि उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी अदालत या किसी अन्य फोरम में लंबित है तो समाधान होने पर और पूर्ण भुगतान करने के बाद व्यक्ति द्वारा केस वापस ले लिया जायेगा।

**(घ)** योजना हेतु अर्ह सभी बकायेदारों को योजना का लाभ लिये जाने एवं योजना में किश्तों की सुविधा लेने वाले उपभोक्ताओं को ससमय किश्तों के भुगतान हेतु प्रेरित किया जायेगा, जिससे बकायेदार उपभोक्ता से वसूली हेतु की जाने वाली विद्युत विच्छेदन की कार्यवाही से बच सके।

**(ङ)** उपभोक्ताओं के बिल संशोधन के लिए नियमित रूप से कैम्पों का आयोजन किया जायेगा।

07/12/2024.

**पंकज कुमार**
**प्रबन्ध निदेशक**

**ज्ञाप सं0 : /मु0अ0(वा0ई0)/सी0यू0–दो/16 तद्दिनांक**

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त निदेशक, समस्त विद्युत वितरण निगम।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), समस्त विद्युत वितरण निगम।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, समस्त विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
9. समस्त अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण/नगरीय खण्ड, समस्त विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।

**(पंकज कुमार)**
**प्रबन्ध निदेशक**